रजिस्ट्री सं. डी (डी एन)-127

REGISTERED NO D (D N) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 15, 1991/पौष 25, 1912

No. 3] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 15, 1991/PAUSA 25, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कपनी लि०

बम्बई, 27 नवम्बर, 1990

आदेश

सं. एस.सी.आई.सी आई/सेक 10 एस डी.एफ.सी (ए) ऐक्ट/10140—यद्यपि, भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लिमिटेड (जिसे इसके बाद "एस.सी आई.सी आई" कहा गया है) ने, नौवहन विकास निधि समिति (उत्सादन) अधिनियम, 1986 को, (जिसे इसके बाद "उक्त अधिनियम" कहा गया है) धारा 16 के अर्थों के अन्तर्गत पदाभिहित व्यक्ति के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन दिनांक 14 फरवरी 1990 अपने नोटिस द्वारा, घोलाभंडन शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को (जिसे इसके बाद "शिप ओनर" कहा गया है) उसमें उल्लिखित केन्द्रीय सरकार के प्रति देनदारियों को पूरी तरह से चुकाने के लिए कहा गया था।

और यद्यपि शिप ओनर ने निर्धारित अवधि के अन्दर-अन्दर उक्त नोटिस का अनुपालन नहीं किया।

और यद्यपि एस.सी आई.सी.आई. को पदाभिहित व्यक्ति के रूप में हक प्राप्त हो गया है और उसने उक्त अधिनियम के अध्याय III के उपबंधों के अधीन विभिन्न विशेष शक्तियों का प्रयोग करने का निर्णय लिया है।

अब उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबन्धों के अनुसरण में तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत रिसीवर की नियुक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एतद्द्वारा यह आदेश दिया जाता है और घोषणा की जाती है कि—

1 श्री एम. शंकर
2 श्री जी एम शेषाद्री
3 श्री आर सुब्रामनियन
4 श्री एम के द्वारकिनाथ

शिपओनर में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

यह आदेश राजपत्र में अधिसूचित होने ही तत्काल प्रभावी हो जाएगा।

THE SHIPPING CREDIT AND INVESTMENT COMPANY OF INIDIA LIMITED

Bombay, the 27th November, 1990

ORDERS

SCICI|Sec 10 SDFC (A) Act|10140.—Whereas the Shipping Credit and Investment Company of India Limited (hereinafter called "the SCICI") as designated

person within the meaning of section 16 of the Shipping Development Fund Committee (Abolition) Act, 1986 as amended (hereinafter referred to as "the said Act") had by its notice under Section 8 of said Act, dated February 14, 1990 called upon Cholamandal Shipping Company Private Limited (hereinafter called "the Shipowner") to discharge in full the dues of the Central Government as stated therein.

And whereas the Shipowner has failed to comply with the said notice within the stipulated period.

And whereas the SCICI, as the designated person has become entitled and has decided to exercise various special powers under the provisions of Chapter III of the said Act.

Now in pursuance of the provisions of Section 10 of the said Act and without prejudice to the appointment of a Receiver under Section 9 of the said Act, it is hereby ordered and declared that

1. Shri S. Shankar
2. Shri V. S. Sheshadri
3. Shri R. Subramanian
4. Shri M. K. Dwarakinath

be and they are hereby appointed as directors of the Shipowner.

This order shall come into force immediately upon its being notified in the Official Gazette.

स एस.सी.आई.सी.आई./सैक. 10एस.डी.एफ.सी. (ए) ऐक्ट/10142—यद्यपि, भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लिमिटेड (जिसे इसके बाद "एस.सी.आई.सी.आई" कहा गया है) ने, नौवहन विकास निधि समिति (उत्पादन) अधिनियम, 1985 को, (जिसे इसके बाद, "उक्त अधिनियम' कहा गया है) धारा 16 के अर्थों के अन्तर्गत पदाभिहित व्यक्ति के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन दिनांक 14 फरवरी 1990 अपने नोटिस द्वारा, सीगल सीफूड प्राइवेट लिमिटेड को (जिसे इसके बाद 'शिप ओनर" कहा गया है) उसमें उल्लिखित केन्द्रीय सरकार के प्रति सभी देनदारियों को पूरी तरह से चुकाने के लिए कहा गया था।

और यद्यपि शिपओनर ने निर्धारित अवधि के अन्दर-अन्दर उक्त नोटिस का अनुपालन नहीं किया है।

और यद्यपि एस.सी.आई.सी.आई. को पदाभिहित व्यक्ति के रूप में हक प्राप्त हो गया है। और उसने उक्त अधिनियम के अध्याय-III के उपबंधों के अधीन विभिन्न विशेष शक्तियों का प्रयोग करने का निर्णय लिया है।

अब उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों के अनुसरण में तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत रिसीवर की नियुक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एतद्द्वारा यह आदेश दिया जाता है और घोषणा की जाती है कि—

1. श्री एस. शंकर
2. श्री वी. एस. शेषाद्री
3. श्री आर. सुब्रामनियन
4. श्री एम.के. द्वारकिनाथ

शिपओनर के निर्देशक के रूप में नियुक्त किए जाते है।

यह आदेश राजपत्र में अधिसूचित होने ही तत्काल प्रभावी हो जाएगा।

SCICI|Sec 10 SDFC (A) Act|10142.—Whereas the Shipping Credit and Investment Company of India Limited (hereinafter called "the SCICI") as designated person within the meaning of Section 16 of the Shipping Development Fund Committee (Abolition) Act, 1986 as amended (hereinafter referred to as said Act") had by its notice under Section 8 of said Act, dated February 14, 1990 called upon Seagull Seafoods Private Limited (hereinafter called "the Shipowner") to discharge in full the dues of the Central Government as stated therein.

And whereas the Shipowner has failed to comply with the said notice within the stipulated period.

And whereas the SCICI, as the designated person has become entitled and has decided to exercise various special powers under the provisions of Chapter III of the said Act.

Now in pursuance of the provisions of Section 10 of the said Act and without prejudice to the appointment of a Receiver under Section 9 of the said Act, it is hereby ordered and declared that

1. Shri S. Shankar
2. Shri V. S. Sheshadri
3. Shri R. Subramanian
4. Shri M. K. Dwarakinath

be and they are hereby appointed as directors of the Shipowner.

This order shall come into force immediately upon its being notified in the Official Gazette.

स.एस.सी.आई.सी.आई./सैक.10एस.डी.एफ.सी. (ए) ऐक्ट/10113—यद्यपि भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लिमिटेड (जिसे इसके बाद "एस.सी.आई.सी.आई" कहा गया है), ने नौवहन विकास निधि समिति (उत्पादन) अधिनियम, 1986 को, (जिसे इसके बाद "उक्त अधिनियम" कहा गया है) धारा 16 के अर्थों के अन्तर्गत पदाभिहित व्यक्ति के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन दिनांक 14 फरवरी 1990 को अपने नोटिस द्वारा, वाना शिपिंग कम्पनी लिमिटेड को (जिसे इसके बाद "शिप ओनर" कहा गया है) उसमें उल्लिखित केन्द्रीय सरकार के प्रति देनदारियों को पूरी तरह से चुकाने के लिए कहा गया था।

और यद्यपि शिप ओनर ने निर्धारित अवधि के अन्दर अन्दर उक्त नोटिस का अनुपालन नहीं किया है।

और यद्यपि एस.सी.आई.सी.आई. को पदाभिहित व्यक्ति के रूप में हक प्राप्त हो गया है और उसने उक्त अधिनियम के अध्याय-III के उपबंधों के अधीन विभिन्न विशेष शक्तियों का प्रयोग करने का निर्णय लिया है।

अब उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबन्धो के अनुसरण मे तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत रिसीवर की नियुक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एतद्द्वारा यह आदेश दिया जाता है और घोषणा की जाती है कि—

1. श्री एस. शंकर
2. श्री वी. एस. शेषाद्री
3. श्री आर. सुब्रामनिअन
4. श्री एम. के द्वारकिनाथ

शिपओनर के निदेशक के रूप मे नियुक्त किए जाते है।

यह आदेश राजपत्र मे अधिसूचित हो होते तत्काल प्रभावी हो जायेगा।

SCICI|Sec 10 SDFC (A) Act|10143.—Whereas the Shipping Credit and Investment Company of India Limited (hereinafter called "the SCICI") as designated person within the meaning of Section 16 of the Shipping Development Fund Committee (Abolition) Act, 1986 as amended, (hereinafter referred to as "the said Act") had by its notice under Section 8 of said Act, dated February 14, 1990 called upon Dana Shipping Limited (hereinafter called "the Shipowner") to discharge in full the dues of the Central Government as stated therein.

And whereas the Shipowner has failed to comply with the said notice within the stipulated period.

And whereas the SCICI, as the designated person has become entitled and has decided to exercise various special powers under the provisions of Chapter III of the said Act.

Now in pursuance of the provisions of Section 10 of the said Act and without prejudice to the appointment of a Receiver under Section 9 of the said Act, it is hereby ordered and declared that

1. Shri S. Shankar
2. Shri V. S. Sheshadri
3. Shri R. Subramanian
4. Shri M. K. Dwarakinath

be and they are hereby appointed as directors of the Shipowner.

This order shall come into force immediately upon its being notified in the Official Gazette.

स. एस.सी.आई.सी.आई./सेक. 10 एस.डी.एफ.सी. (ए) ऐक्ट/10144.—यद्यपि भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लिमिटेड (जिसे इसके बाद "एस.सी.आई.सी.आई" कहा गया है) ने, नौवहन विकास निधि समिति (उत्सादन) अधिनियम, 1986 को, (जिसे इसके बाद, "उक्त अधिनियम" कहा गया है) धारा 16 के अर्थों के अन्तर्गत पदाभिहित व्यक्ति के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन दिनांक 28 अगस्त, 1990 को अपने नोटिस द्वारा, माईकेल सी फूड प्राइवेट लिमिटेड को (जिसे इसके बाद "शिप ओनर" कहा गया है) उसमें उल्लिखित केन्द्रीय सरकार के प्रति सभी देनदारियों को पूरी तरह से चुकाने के लिए कहा गया था।

और यद्यपि शिपओनर ने निर्धारित अवधि के अन्दर-अन्दर उक्त नोटिस का अनुपालन नहीं किया है।

और यद्यपि एस.सी.आई.सी.आई. को पदाभिहित व्यक्ति के रूप में हक प्राप्त हो गया है और उसने उक्त अधिनियम के अध्याय-III के उपबधों के अधीन विभिन्न विशेष शक्तियों का प्रयोग करने का निर्णय लिया है।

अब उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबन्धो के अनुसरण में तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत रिसीवर की नियुक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एतद्द्वारा यह आदेश दिया जाता है और घोषणा की जाती है कि।

1. श्री. एस. शंकर
2. श्री. व्ही. एस. शेषाद्री
3. श्री. आर. सुब्रामनिअन
4. श्री. एम.के. द्वारकिनाथ

शिपओनर के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

यह आदेश राजपत्र में अधिसूचित होते ही तत्काल प्रभावी हो जाएगा।

आदेश से

एस. पार्थसारथी, एक्सयुक्यूटिव निदेशक

SCICI|Sec 10 SDFC (A) Act|10144.—Whereas the Shipping Credit and Investment Company of India Limited (hereinafter called "the SCICI") as designated person within the meaning of Section 16 of the Shipping Development Fund Committee (Abolition) Act, 1986 as amended, (hereinafter referred to as the "the said Act") had by its notice under Section 8 of said Act, dated August 28, 1990 called upon the Michel Seafoods Private Limited (hereinafter called "the Shipowner") to discharge in full the dues of the Central Government as stated therein.

And whereas the Shipowner has failed to comply with the said notice within the stipulated period.

And whereas the SCICI, as the designated person has become entitled and has decided to exercise various special powers under the provisions of Chapter III of the said Act.

Now in pursuance of the provisions of Section 10 of the said Act and without prejudice to the appointment of a Receiver under Section 9 of the said Act, it is hereby ordered and declared that—

1. Shri S. Shankar
2. Shri V. S. Sheshadri
3. Shri R. Subramanian
4. Shri M. K. Dwarakinath

be and they are hereby appointed as directors of the Shipowner.

This order shall come into force immediately upon its being notified in the Official Gazette.

By Order,

S. PARTHASARATHY, Executive Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991